झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

पत्रांकः 3/पी॰एम॰सी॰/प्र॰ स्वी॰–130/14/ ..../राँची, दिनांक ....

प्रेषकः

ई॰ शिवा नन्द राय,
संयुक्त सचिव (अभि॰)।

सेवा में,

महालेखाकार
झारखण्ड,
पो॰–हिनू, राँची।

द्वाराः आन्तरिक वित्तीय सलाहकार।

विषयः लघु सिंचाई प्रक्षेत्राधीन राँची जिला के बेड़ो प्रखंड अंतर्गत करंजी मध्यम सिंचाई योजना के निर्माण हेतु रू० 319.93 लाख (रूपये तीन करोड़ उन्नीस लाख तिरानवे हजार) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति के संबंध में।

आदेश-स्वीकृत।

2 जल संसाधन विभाग के लघु सिंचाई प्रक्षेत्राधीन राँची जिला के बेड़ो प्रखंड के करंजी ग्राम में करंजी मध्यम सिंचाई योजना के निर्माण हेतु रू0 319.93 लाख (रूपये तीन करोड़ उन्नीस लाख तिरानवे हजार) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाती है।

3 इस योजना में 180 मीटर में मिटट्री बाँध एक (1) अदद् स्पीलवे एंव 1000 मीटर में नहर निर्माण किए जाने का प्रावधान है।

4 इस योजना के पूर्ण होने से 180 हे॰ खरीफ एवं 35 हे॰ रब्बी क्षेत्र में सिंचाई क्षमता सृजन का अनुमान है।

5 इस योजना को वित्तीय वर्ष 2013–14 एवं वर्ष 2014–15 में पूर्ण किया जाना है।

6 इस योजना के कार्य स्थल का विस्तृत सर्वेक्षणोपरांत जल की उपलब्धता एंव कमांड क्षेत्र का आकलन किया जाएगा। तदनुसार रूपांकण कर ही प्राक्कलन की तकनीकी स्वीकृति सक्षम प्राधिकार द्वारा दी जाएगी।

7 इस कार्य पर होने वाला व्यय बजट शीर्ष "4702–लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय–796–जनजातीय क्षेत्रीय उपयोजना–19–नई लघु सिंचाई योजना का निर्माण–05–निर्माण–45–मुख्य निर्माण कार्य" अंतर्गत प्राप्त बजट उपबंध के अधीन विकलनीय होगा।

8 इस कार्य के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, कार्यपालक अभियंता, लघु सिंचाई प्रमंडल, राँची एवं मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई, राँची नियंत्रण पदाधिकारी होंगे।

9 इस कार्य के राशि की निकासी राँची कोषांगार से किया जाएगा।

10 इस कार्य के कार्यान्वियन में विभाग द्वारा समय–समय पर निर्गत निदेशों एवं अन्य विहित प्रक्रियाओं का सम्यक रूप से अनुपालन करना अनिवार्य होगा।

11 झारखंड कोषागार संहिता के नियम–300 का अनुपालन दृढ़ता से किया जाएगा।

12 किसी भी स्थिति में राशि की निकासी बजट उपबंध के अंतर्गत होगा।

13 प्रस्ताव पर विभागीय मंत्री महोदया का अनुमोदन प्राप्त है।

14 स्वीकृत्यादेश प्रारूप पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

15 इसे आंतरिक वित्तीय सलाहकार, झारखण्ड सरकार के द्वारा महालेखाकार, झारखण्ड, राँची को संसूचित किया जाय।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

(शिवा नन्द राय)
संयुक्त सचिव (अभि॰)

पत्रांकः 3/पी॰एम॰सी॰/प्र॰ स्वी॰–130/14/ ..../राँची, दिनांक ....
प्रतिलिपिः वित्त विभाग, झारखण्ड सरकार/आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड को दो अतिरिक्त मूल प्रतियों के साथ महालेखाकार, झारखण्ड, राँची को संसूचनार्थ/योजना विभाग, झारखण्ड सरकार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-
(शिवा नन्द राय)
संयुक्त सचिव (अभि॰)

पत्रांकः 3/पी॰एम॰सी॰/प्र॰ स्वी॰–130/14/ ..../राँची, दिनांक ....
प्रतिलिपिः कोषागार, पदाधिकारी, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-
(शिवा नन्द राय)
संयुक्त सचिव (अभि॰)

पत्रांकः 3/पी॰एम॰सी॰/प्र॰ स्वी॰–130/14/ ..../राँची, दिनांक ....
प्रतिलिपिः सचिव, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची/अभियंता प्रमुख–II, जल संसाधन विभाग/मुख्य अभियंता योजना मोनिटरिंग एवं आयोजन, राँची/मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई, राँची/उप सचिव(अभियंत्रण), जल संसाधन विभाग/अधीक्षण अभियंता, योजना, मोनिटरिंग एवं आयोजन अंचल–3/अधीक्षण अभियंता, लघु सिंचाई अंचल, राँची/कार्यपालक अभियंता, लघु सिंचाई प्रमंडल, राँची/प्रशाखा पदाधिकारी–7, जल संसाधन विभाग को सूचना एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित। संबंधित पदाधिकारी द्वारा सभी कंडिकाओं का अनुपालन सुनिश्चित कराया जाएगा।

ह०/-
(शिवा नन्द राय)
संयुक्त सचिव (अभि॰)

पत्रांकः 3/पी॰एम॰सी॰/प्र॰ स्वी॰–130/14/ ..../राँची, दिनांक ....
प्रतिलिपिः आयुक्त दक्षिणी छोटानागपुर, राँची को सूचनार्थ प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि इसकी प्रतिलिपि अपने स्तर से जिलान्तर्गत माननीय सांसद एवं विधायकगण को उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

ह०/-
(शिवा नन्द राय)
संयुक्त सचिव (अभि॰)

पत्रांकः 3/पी॰एम॰सी॰/प्र॰ स्वी॰–130/14/ ..../राँची, दिनांक ....
प्रतिलिपिः माननीय मंत्री महोदया, जल संसाधन विभाग के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

ह०/-
(शिवा नन्द राय)
संयुक्त सचिव (अभि॰)

पत्रांकः 3/पी॰एम॰सी॰/प्र॰ स्वी॰–130/14/ 90/13-14 प्र.स्वी./राँची, दिनांक 03.03.2014
प्रतिलिपिः वेब मैनेजर, जल संसाधन विभाग राँची को सूचनार्थ एवं विभागीय वेबसाईट पर Upload करने हेतु प्रेषित।

3/3/14
(शिवा नन्द राय)
संयुक्त सचिव (अभि॰)
03/03/14